



**JALAUN POLICE**

**"Operation Conviction"**

**दिनांक 21.07.2026**

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कोटरा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास एवं 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त 1- रफीक पुत्र जाहनी निवासी मरघट के पास मो० नया पाठकपुरा कोतवाली उर्ई जनपद जालौन के विरुद्ध थाना कोटरा पर मु०अ०स० 17/24 धारा 354 भादवि व 9m/10 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कोटरा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उर्ई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रफीक उपरोक्त को दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कारावास एवं 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री रणकेन्द्र भदौरिया  
ADGC



श्री विश्वजीत सिंह  
ADGC



श्री परमहंस तिवारी  
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० हरिश्चन्द्र  
कोर्ट पैरोकार



हे०का० सतेन्द्र सिंह  
कोर्ट मुहर्रिर

**jalaunpolice**

